लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी, (राजस्व)
(जिला कलक्टर),बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – डॉ.इंद्रजीत यादव, IAS.

अपील संख्या – 24/2025
जी.सी.एम.एस. सं. 2025/104

प्रार्थी/अपीलार्थी :–		अप्रार्थी /रेस्पोण्डेंट्स:–
श्री मो.साहेब खां 33 ए, इन्दिरा कॉलोनी, बांसवाडा मो.नं. 9785122855	बनाम	अति. जिला कलक्टर (लोक सूचना अधिकारी) बांसवाडा (राज.)

निर्णय

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

दिनांक :– 25–07–2025

प्रस्तुत मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी की ओर से सूचना चाहने हेतु धारा 6(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन दिनांक **07–05–2025** (पोस्टल ऑर्डर नं. 63एफ 877762) पर **अति. जिला कलक्टर (लोक सूचना अधिकारी) बांसवाडा** द्वारा सूचना उपलब्ध नही कराने के कारण अपीलार्थी की ओर से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर इस न्यायालय से नोटिस दिनांक **26–06–2025** को जारी किया गया एवं प्रत्यर्थी को अपना पक्ष रखने सूचित किया गया।

दिनांक **16–07–2025** को प्रत्यर्थी **अति. जिला कलक्टर (लोक सूचना अधिकारी) बांसवाडा ने पत्रांक 83–84 दिनांक 08.07.2025** से जवाब प्रस्तुत कर अवगत कराया कि अपीलार्थी द्वारा वांछित तहसीलदार तहसील गढी से संबंधित होने से पत्रांक 50 दिनांक 09.05.2025 से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 की उप धारा 3 के तहत सूचना उपलब्ध कराने स्थानांतरित किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Indrjeet Yadav
Date: 2025.10.31 11:41:24 IST
Reason: SelfAttested

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी,
जिला कलक्टर, बाँसवाड़ा (राज.)

दिनांक 16.07.2025 को तहसीलदार (लोक सूचना अधिकारी) तहसील गढी को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने सूचित किया गया।

तहसीलदार (लोक सूचना अधिकारी) गढी द्वारा उनके पत्रांक 538 दिनांक 22.07.2025 से जवाब प्रस्तुत कर अवगत कराया कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना के संबंध में प्रार्थी को जरिये पत्र सूचना दी गई कि समस्त सूचना की सूची तैयार कर सूचना उपलब्ध कराने से राज्य कार्य विचलित होता है। सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 7.9 के अनुसार चाही गई सूचना उपलब्ध कराना सम्भव नही है, यदि विशेष पत्रावली की आवश्यकता हो तो उसका विवरण उपलब्ध करावे अथवा कार्यालय में उपस्थित होकर रेकार्ड का निरीक्षण कर दस्तावेज चिन्हित किये जावें।चाहे गए समस्त कृषि से अकृषि रुपांतरण आदेश पर व्यक्ति के होने से चिन्हित किये गये दस्तावेजो को उपलब्ध कराने हेतु सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 11 के अन्तर्गत सहमति प्राप्त कर सूचना उपलब्ध कराई जा सकती है।

अपीलार्थी की ओर से लिखित बहस जरिये डाक से प्राप्त हुई। अपीलार्थी द्वारा लिखित बहस में मुख्य रुप से यह उल्लेख किया है कि मुझ प्रार्थी द्वारा मांगी गई सूचना लोकहित में है क्योंकि रुपांतरण की सूची की जानकारी न केवल राजस्व विभाग का प्रशासनिक कार्य है बल्कि यह भूमि विवादो, पारदर्शिता, सार्वजनिक योजना से संबंधित है यह कोई व्यक्तिगत विवरण नही है। इसे गोपनीय ठहराया नही जा सकता क्योंकि मुझ प्रार्थी द्वारा किसी भी व्यक्ति की निजी पहचान या व्यक्तिगत विवरण की मांग नही की गई है। सुप्रीम कोर्ट एवं सी.आई.सी द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि यदि काई सूचना सरकारी अभिलेख में निहित है और उसके सार्वजनिक हित जुडा है तो उसकी जानकारी आमजन को उपलब्ध करानी चाहिये। प्रथम अपील स्वीकार करने निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं **अति. जिला कलक्टर (लोक सूचना अधिकारी) बांसवाडा** एवं तहसीलदार (लोक सूचना अधिकारी) तहसील गढी जिला बांसवाडा के जवाब मनन किया। अपीलार्थी द्वारा **अति. जिला कलक्टर (लोक सूचना अधिकारी) बांसवाडा** से सूचना

Signature Not Verified
Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2025.10.31 11:21:24 IST
Reason: SelfAttested

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी,
जिला कलक्टर, बाँसवाड़ा (राज.)

चाहने हेतु धारा 6(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत आवेदन दिनांक **07–05–2025** जो इस अधिनियम की धारा 6(3) के तहत तहसीलदार (लोक सूचना अधिकारी) तहसील गढी को स्थानांतरित किया गया है। प्रार्थी द्वारा उक्त आवेदन से 2 बिन्दु पर यह सूचना चाही गई है कि –

1. "गढी उपखण्ड के वर्तमान तहसीलदार के पदस्थापन से लेकर आज दिनांक तक हुए कृषि से अकृषि रुपांतरणो की सूची व उनकी सम्पूर्ण पत्रावली की सत्य प्रतिलिपि"।
2. " पैरा सं. 1 मे संलग्न रिपोर्ट पटवारी ट्रेस नक्शा व संलग्न समस्त दस्तावेजो की सम्पूर्ण पत्रावली की सत्य प्रतिलिपि "।

प्रार्थी द्वारा वांछित दोनो बिन्दुओ से सम्बन्धित सूचना सृजनात्मक, विस्तृत एवं आदेश/विशिष्ठि (विवरण) रहित है। संभवतः वांछित सूचना से सम्बन्धित अभिलेख में पर व्यक्ति दस्तावेज भी हो। सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6(1)(B) के अनुसार चाही गई सूचना में विशिष्टियाँ अंकित करना अपेक्षित है। अपीलार्थी नियमानुसार अभिलेख के निरीक्षण के पश्चात् पत्रावली/ आदेश/ पत्र की विशिष्ठयॉ (विवरण) के साथ आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी को प्रस्तुत करे। **तहसीलदार (लोक सूचना अधिकारी) तहसील गढी जिला बांसवाडा (राज.)** को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा पत्रावली/ आदेश/ पत्र की विशिष्ठयॉ (विवरण) के साथ आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत नियमानुसार कार्यवाही कर सूचना उपलब्ध करावे। अपीलार्थी निरस्त की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 25–07–2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (राज.) बांसवाड़ा

(डॉ. इन्द्रजीत यादव) IAS.
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
जिला कलक्टर, बांसवाड़ा (राज.)
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी,
जिला कलक्टर, बांसवाडा (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2025.10.31 11:21:24 IST
Reason: SelfAttested